



न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प भोपाल
प्रकरण क्रमांक निगरानी/2015 नंबर 1279-PBR-15

01. अर्जून सिंह आ. श्री इमरत सिंह आयु वयस्क
02. इमरत आ. श्री लखनलाल आयु वयस्क
दोनों निवासी ग्राम देहरिया तहसील व
जिला सीहोर म0प्र0

.....निगरानीकर्तागण

विरुद्ध

01. श्रीमति वंदना मित्तल पत्नि श्री अरुण मित्तल वयस्क
निवासी हाउस बंबर 12, इस्टर एवेन्यू, महारानी बाग,
साउथ दिल्ली निवासी एवं कृषक देहरिया जिला सीहोररेस्पाण्डेट

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 विरुद्ध आदेश

दिनांक 30/05/2014 प्रकरण क्रमांक 19/अ-12/13-14

(श्रीमति वंदना मित्तल विरुद्ध सर्वसाधारण) पारित द्वारा अधीनस्थ

न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय सीहोर द्वारा पारित किया

गया।

प्रकरण जो आहुत किये जाने हैः-

प्रकरण क्रमांक 19/अ-12/13-14 (श्रीमति वंदना मित्तल विरुद्ध

सर्वसाधारण) पारित द्वारा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार

महोदय सीहोर दिनांक 30/05/2014

श्रीमान् जी,

निगरानीकर्ता माननीय अधीनस्थ अपर तहसीलदार महोदय, के न्यायालय द्वारा
पारित आदेश से परिवेदित एवं दुखी होकर निम्नांकित तथ्यों एवं विधिक आधारों पर यह
निगरानी माननीय महोदय के समक्ष प्रस्तुत करता हैः-

श्री नैरेन्द्र ठाकुर
राजभाष्क उपहोकर
भोपाल कैम्प घर प्रस्तुत
27-5-15

24-6-15

आवेदक उभिभाषक सुचना उपरांक
अनुपस्थित। तीन बार पुकार लगावहि गई।
इकरण आवेदक उभिभाषक की अनुपस्थिति
में ऊदम पेरबी समाप्त किया जाता है।

मध्यस्थ